राजस्थान सरकार

राजस्थान स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी

निदेशालय बाल अधिकारिता

जी–3/1 ए. अम्बेडकर भवन (विस्तार), होटल राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर

क्रमांक : एफ 14(332)(मुबाअ)/व.नि./13/ 18482 जयपुर, दिनांक 13-9-2013

आदेश

राज्य सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना का कियान्वयन किया जा रहा है। समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत देखरेख आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को समुचित वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं तक बेहतर पंहुच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार एवं सतत् निगरानी करने के लिए समुदाय एवं पंचायत समिति की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन महामहिम राज्यपाल महोदया के आदेश कमांक क.एफ.() सान्याअ/प्रशि/परा/2012/349 दिनांक 4.12.2012 को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उक्त संबंध में पंचायत समिति स्तर पर ''पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति'' के सुचारू संचालन हेतु दिशा–निर्देश की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(डॉ.मनजीत सिंह) 13/9/13
अध्यक्ष,
राजस्थान स्टेट चाइल्ड
प्रोटेक्शन सोसायटी

क्रमांक एफ 14(332)(मुबाअ)/व.नि./13/ 18483-19055 जयपुर, दिनांक 13-9-2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग/ गृह विभाग/ विधि विभाग/ खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. प्रमुख शासन सचिव श्रम/ स्कूल शिक्षा/महिला एवं बाल विकास विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसायटी, जयपुर।
9. समस्त जिला प्रमुख, जिला परिषद..............................।

10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....।
11. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला बाल संरक्षण इकाई।
12. समस्त सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई..... को भेज लेख है कि जिले के समस्त ब्लॉक एवं ग्राम पंचायत को दिशा-निर्देश एवं प्रस्तावित एजेण्डा भेजना सुनिश्चित करावें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. समस्त अध्यक्ष बाल कल्याण समिति.....।
14. समस्त अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड.....।
15. समस्त अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं बाल गृह/ गैर राजकीय बाल गृह.....।
16. समस्त जिलाधिकारी, श्रम विभाग..... को पालनार्थ।
17. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी.....को पालनार्थ।
18. समस्त जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी.....को पालनार्थ।
19. समस्त प्रधान, पंचायत समिति ..... को पालनार्थ।
20. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति.....को पालनार्थ।
21. समस्त सरपंच, ग्राम पंचायत..... को पालनार्थ।
22. समस्त ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत.....को पालनार्थ।
23. समस्त ए.एन.एम./आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत.....को पालनार्थ।
24. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

भारत सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने, बाल संरक्षण सेवाओं की बेहतर पहुंच एवं उनमें गुणवत्तापूर्ण सुधार के साथ सतत् निगरानी करने के लिए समुदाय एवं अन्य विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन किया गया हैं।

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति गठित करने और देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता की श्रेणी में आने वाले बच्चों को योजनाओं का लाभ एवं प्रभावी कियान्यवन हेतु यह निर्देशिका ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति के लिए तैयार की गई है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 और समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत गठित समिति निम्न उदेदश्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी:–

1. बाल अधिकार एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुददों पर समझ स्थापित कर समस्त पंचायतो को जागरूक करना।
2. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा चिन्हित किये गये जोखिम एवं संकट ग्रस्त बच्चों को योजनाओं का लाभ दिलाने में विभाग की सहायता करना।
3. बाल कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, संबंधित पंचायत, सरपंच एवं समुदाय को जागरूक किये जाने हेतु पहल करना।
4. ब्लॉक/ग्राम के जरूरतमंद बच्चों को चिन्हित कर प्रायोजन (स्पॉनसर्शिप), पश्चातवर्ती देखभाल, पालन पोषण देखभाल, दत्तक ग्रहण के लिए परिवारों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु संबंधित ग्राम पंचायत को निर्देशित करना।
5. ब्लॉक के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्राम के परिवार से बिछड़े हुए बच्चों की सूची तैयार कर बच्चों को परिवार में भेजने के लिए ग्राम पंचायत/जिला बाल संरक्षण इकाई को आवश्यक सहायता प्रदान करना।
6. ब्लॉक के अन्तर्गत आने वाले समस्त ग्राम के बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल शोषण, हिंसा दुर्व्यवहार आदि मुद्दों पर

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति के समस्त सदस्यों को जागरूक करने में सहायता प्रदान करना।

7. जिला परिषद को बच्चों की कार्य योजनाएँ बनाकर बजट आवंटित कराने में सहयोग प्रदान करना।
8. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति को दिये गये कार्य योजना को लागू कराने में जिला बाल संरक्षण इकाई को समुचित सहयोग प्रदान करना।
9. बच्चों के संरक्षण से संबंधित सभी कानून, योजनाएं, नीति, सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराना एवं समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित कराने में सहयोग प्रदान करना।
10. बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसेः–पालनहार, छात्रवृत्ति, शिक्षा, आंगनबाड़ी सेवाऐं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना इत्यादि) सेवाओं को अविलम्ब प्रदान किये जाने में सहयोग प्रदान करना।

1. पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति की संरचनाः–

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति का गठन ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक 349 दिनांक 4.12.2012 के अनुसार निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	सदस्य का नाम	समिति में पद
1.	प्रधान, पंचायत समिति	अध्यक्ष
2.	विकास अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य–सचिव
3.	अध्यक्ष, ग्राम पंचायतस्तरीय बाल संरक्षण समिति (समस्त सरपंच)	सदस्य
4.	जिला बाल संरक्षण इकाई का सदस्य (सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा नामित)	सदस्य
5.	ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	उप पुलिस अधीक्षक, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य
7.	बाल विकास परियोजना अधिकारी, संबंधित पंचायत समिति	सदस्य
8.	श्रम कल्याण अधिकारी/श्रम निरीक्षक, श्रम विभाग द्वारा नामित	सदस्य
9.	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति	सदस्य
10.	ब्लॉक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, संबंधित ब्लॉक/पंचायत समिति	सदस्य
11.	समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधि (कम से कम एक महिला)	सदस्य

2. चयन प्रक्रिया

1. समिति में समुदाय के दो सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों जैसे गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष/सचिव, सेवानिवृत्ति राजकीय अधिवक्ता/चिकित्सक/प्रधानाचार्य/अध्यापक

इत्यादि का चयन संबंधित प्रधान, (जिसमें एक महिला अनिवार्य होगा) पंचायत समिति द्वारा किया जायेगा।

3.समिति का कार्यकालः–

1. समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।
2. समिति में समुदाय के सम्मानित सदस्य/नागरिक समाज के प्रतिनिधियों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

4.सदस्यों का प्रशिक्षण एवं मार्ग दर्शनः–

समिति के गठन पश्चात बच्चों के संरक्षण से जुड़े मुद्दों जैसे–बच्चों के प्रति संवेदनशीलता /समिति के कार्य एवं जिम्मेदारी/बच्चों से जुड़ी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं (जैसेः–पालनहार, छात्रवृत्ति, आंगनबाड़ी सेवाऐं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना इत्यादि)/बाल अधिकार/ग्राम व पंचायत स्तर पर बालकों से जुड़े संरक्षण के मुद्दे/स्कूल से जुड़े संरक्षण के मुद्दे आदि सभी पर जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और राजस्थान राज्य बाल संरक्षण सोसायटी के माध्यम से नियमित प्रशिक्षण और आमुखीकरण उपलब्ध कराया जायेगा।

समिति के सदस्यों के नाम एवं सम्पर्क नम्बर पंचायत समिति भवन, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, पुलिस स्टेशन इत्यादि पर चस्पा करवाया जायेगा।

जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से समय–समय पर आदेश/परिपत्र/निति–मार्गनिर्देशिका/अन्य संबंधित सामग्री उपलब्ध करवायी जायेगी।

5. अध्यक्ष के कार्यः–

1. अध्यक्ष द्वारा प्रति माह एक बैठक तथा आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बैठक आयोजित की जावेगी।
2. सचिव की अनुपस्थिति में सभी कार्यों को सुचारू रूप से करना।
3. ग्राम पंचायत से प्राप्त बच्चों की समस्याओं पर चर्चा करना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पहल करना।
4. बैठक में लिये गये निर्णय को ब्लॉक पंचायत मिटिंग में पारित करवाना और जिले में पहल करना।
5. बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित मार्ग–निर्देशिका, परिपत्र, आदेश आदि की जानकारी सदस्यों को उपलब्ध करवाना और आवश्यक कार्यवाही करना।
6. बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित सभी मुद्दों पर सदस्यों को जागरूक कर कार्य विभाजन करना।
7. अन्य कार्य जो विभाग द्वारा निर्देशित किया जाए।

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

6.सचिव के कार्य:–

1. बाल संरक्षण समिति की प्रत्येक प्रस्तावित बैठक की सूचना लिखित रूप में सभी सदस्यों को उपलब्ध करवाना।
2. बैठक की उपस्थिति एंव कार्यवाही विवरण तैयार करना।
3. बाल संरक्षण समिति द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल अधिकारिता विभाग एवं संबंधित सभी को पत्रांक, आदेश एंव रिर्पोट प्रस्तुत करना।
4. अध्यक्ष और सदस्यों की अनुपस्थिति में समस्त कार्य की जिम्मेदारी को पूरी तरह से सुनिश्चित करना।

7. बैठक:–

1. प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक आयोजित करना आवश्यक हैं। समिति की बैठक पंयायत समिति भवन या सुविधाजनक स्थान पर की जा सकती हैं। बैठक में प्रत्येक सदस्यों को स्पष्ट एजेन्डे की प्रति के साथ उपस्थित होना आवश्यक होगा।
2. समिति के अध्यक्ष आवश्यकता पड़ने पर या आपातकालीन स्थिति देखते हुए बैठक नोटिस जारी कर सकता हैं।
3. सचिव और सदस्य मिटिंग से पहले बिना किसी कारण स्थान एंव एजेन्डे परिवर्तित नहीं करेगें।
4. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव विशेष बैठक तभी बुला सकता हैं जब 2/3 सदस्यों का लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ हो।
5. बैठक में समिति के प्रत्येक सदस्यों की कम से कम दो घण्टे की बैठक लेनी आवश्यक हैं।
6. समिति की प्रत्येक बैठक की अवधि लम्बित कार्यो एंव प्रकरणों पर निर्भर हो।

8. बैठक के लिए कोरम:–

ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की बैठक के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक हैं। समिति के उपस्थित लोगों के बहुमत से निर्णय लेना होगा। समिति के अध्यक्ष को निणर्य लेने की शक्ति होगी। <u>उक्त बैठक का यात्रा–भत्ता या मानदेय देय नहीं होगा ।</u>

9. ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति की कार्य एवं भूमिका:–

ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति को अपने पंचायतों से श्रेणीवार सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करेगी, जिसमें कानून से संघर्षरत/कानून के सम्पर्क में आने वाले/ देखरेख एवं संरक्षण वाले बच्चों की संख्या कितनी हैं और साथ ही बच्चों से सम्बन्धित यह डाटा/ श्रेणीवार सम्पूर्ण सूचना से विभाग को

समय–समय पर अवगत कराना होगा। इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति को निम्न कार्य सम्पादित करने होगें:–

1. समिति ग्राम पंचायत क्षेत्र में बाल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन, समन्वय, निगरानी, नियंत्रण एवं सुधार के लिए कार्य करेगी।
2. समिति द्वारा देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के चिन्हिकरण, बच्चों हेतु मौजूदा संस्थाओं/गृहों/विद्यालयों/आंगनवाड़ी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण कर आवश्यक सुधार हेतु कार्य करेगी।
3. बच्चों के संरक्षण एवं विकास के लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ बच्चों को दिलवाने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक प्रयास करेगी।
4. स्थानीय स्तर पर बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यव्हार, शोषण, हिंसा एवं उपेक्षा से संबंधित मुद्दों पर उनके सुरक्षा एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु निर्णय लेते हुये संबंधित संस्थाओं (बाल कल्याण समिति/विशेष किशोर पुलिस इकाई) तक मामलों को पहुचायेगी एवं उनका फॉलोअप करेगी।
5. ब्लॉक में बालश्रम, बाल विवाह, बाल शोषण, अशिक्षा आदि को जड़ से खत्म किये जाने हेतु समस्त ग्राम को निर्देशित करेगी एवं उनका फॉलोअप करेगी।
6. समिति बाल अधिकारों के बारे में प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करते हुये बाल मैत्री ग्राम का निमार्ण करेगी।
7. उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, जिला बाल अधिकारिता कार्यालय होगा। समिति एवं बाल संरक्षण के संबंध में समस्त पत्र–व्यवहार एवं आवश्यक मार्ग–दर्शन सहायक निदेशक, जिला बाल अधिकारिता, जिला बाल संरक्षण इकाई (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) से ले सकेगी।
8. पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति स्थानीय स्तर पर समिति के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने एवं सदस्यों की अनुशंषाओं को प्राथमिकता देते हुये बच्चों के हित में कार्य करेगी।
9. समिति प्रत्येक माह में अपनी बैठक आयोजित कर कार्यवाही विवरण रजिस्टर में दर्ज कर कार्यवाही विवरण की एक प्रति अनिवार्यता से जिला बाल संरक्षण इकाई/पंचायत समिति स्तरीय बाल संरक्षण समिति को प्रेषित करेगी।
10. प्रत्येक बैठक में कम से कम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में किये गये निर्णय ही वैध/मान्य होंगे। समिति के सदस्यों द्वारा किये गये कार्यों का अनुमोदन (पूर्व/पश्चात्) किया जाना आवश्यक होगा।

10.ब्लॉक स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक रिपोर्ट:–

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति अपनी त्रैमासिक रिपोर्ट जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जायेगा:–

1. त्रैमासिक बैठकों का सम्पूर्ण ब्यौरा (बैठक संख्या, उपस्थित लोगों की संख्या) इत्यादि।
2. त्रैमासिक गतिविधियों/कार्यक्रम का ब्यौरा।

3. बैठकों में आये सुझाव/शिकायतों का निस्तारण।
4. पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति की आगामी कार्य योजना।

11. पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति हेतु मासिक एजेण्डाः–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2011 एवं समेकित बाल संरक्षण योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए "पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति" प्रतिमाह निम्न संभावित एजेण्डा पर बैठक आयोजित कर सकती हैः–

1. ब्लॉक में बच्चों हेतु प्रदान की जा रही समस्त सेवाओं की प्रगति पर चर्चा एवं निर्णय करना।
2. कार्यरत् समस्त स्वयंसेवी संस्थाओं/बाल गृहों/विद्यालयों/आंगनबाड़ी केन्द्रों/पालना गृहों का सतत् निरीक्षण करने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
3. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों एवं प्रगति पर चर्चा एवं निर्णय करना।
4. बच्चों की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बाल तस्करी, बाल शोषण, हिंसा दुर्व्यवहार आदि के संबंध में पुलिस विभाग से समन्वय एवं उनकी भागीदारी पर चर्चा।
5. बच्चों की संरक्षण से संबंधित सभी कानून/योजनाऐं/नीति/सेवाऐं ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति को उपलब्ध किये जाने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
6. जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रगति एवं प्रस्तावों पर चर्चा एवं निर्णय करना।
7. ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति द्वारा जोखिम एवं संकट ग्रस्त बच्चों को योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
8. राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय में नामांकन, अनियमित बच्चें, विद्यालय की पंहुच, ड्रापआउट आदि बालक–बालिकाओं को जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
9. परिवार से बिछड़े एवं पलायन किये गये बच्चों की पहचान किये जाने हेतु सर्वे कार्य योजना तैयार कर विचार–विमर्श करना।
10. यौन शोषण से पीड़ित बच्चों के प्रकरणों के निपटान हेतु ब्लॉक स्तर पर व्याख्याकार, विशेष शिक्षक या भाषान्तरकार एवं अनुवादक आदि की सूची तैयार हेतु पैरवी आदि पर विचार–विमर्श।

पंचायत समिति (ब्लॉक) स्तरीय बाल संरक्षण समिति निर्देशिका

11. स्कूल भवन/तालाब/नाले/बिजली के तार, ट्रांसफार्मर/यातायात साधन/सड़क आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
12. जिला परिषद को बच्चों की कार्य योजनाएँ बनाकर बजट आवंटित कराने प्रस्ताव पर विचार करना।
13. बच्चों के लिए प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना (जैसेः–पालनहार, छात्रवृत्ति, शिक्षा, आंगनबाड़ी सेवाऐं, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना इत्यादि) सेवाओं को अविलम्ब प्रदान किये जाने हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।
14. जिला विशेष किशोर पुलिस इकाई से समन्वय एंव गांव से गुमशुदा/प्राप्त/तस्करी/बालश्रम/बाल शोषण आदि के निपटान हेतु चर्चा एवं निर्णय करना।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान स्टेट चाइल्ड
प्रोटेक्शन सोसायटी